न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम वर्मा (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 43/2022 दिनांक :– 3-6-22

दयालाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी ग्राम सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान ..... प्रार्थी ...

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. गिरधारीराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी ग्राम बम्बू तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान ... अप्रार्थी .....

प्रार्थना पत्र एक्स में संशोधन बाबत्।

निर्णय

उपस्थित :–

1. रघुवीर भांभू एडवोकेट वास्ते प्रार्थी
2. पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी संख्या 01

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी दयालाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी ग्राम सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान ने रोही ग्राम सांडवा में अपने कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 528 जिसके हाल खसरा संख्या 1721/528 तादादी 0.1012 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1722/528 तादादी 2.7316 हैक्टेयर का है जिसमें से प्रार्थी ने सड़क नोखा से सीकर के दक्षिणी तरफ अपने खातेदारी खेत में से 132 फूट सड़क से छोड़कर उपरोक्त खसरा के पूर्वी तरफ की सीमा से 60 फूट छोड़कर तादादी 0.1012 हैक्टेयर औधोगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश कमांक राजस्व/ 2016/ 813–816 दिनांक 21/03/2016 जारी कर्ता उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ द्वारा जारी है। प्रार्थी के रोही सांडवा के मूल खसरा नंबर 528 तादादी 11 बीघा 4 बिश्वा में से 1000.50 वर्गमीटर जिसके वर्तमान खसरा नंबर 1721/528 राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी जब संपरिवर्तन आदेश लेकर पटवारी हल्का को जाकर दिया तो पटवारी हल्का ने मुताबिक आदेश नांमातरकरण संख्या 2596 दर्ज किया व पटवारी हल्का ने एक्स में भी तरमीम उसी समय कर दी थी। पटवारी हल्का ने एक्स में तरमीम करते वक्त गलती से प्रार्थी का संपरिवर्तन आदेश व सलंग्न नक्शा के अनुसार तरमीम नहीं की। पटवारी हल्का ने प्रार्थी के खेत खसरा नंबर मूल 528 रोही सांडवा के नक्शा में तरमीम करते समय प्रार्थी के खातेदारी खेत की पूर्वी तरफ की सींव से 60 फूट छोड़कर व सड़क से 132 फूट छोड़कर नक्शा एक्स में तरमीम करनी चाहीए थी जो पटवारी हल्का ने प्रार्थी के खेत खसरा संख्या मूल 528 के सड़क से 132 फूट छोड़कर पश्चिमी तरफ की सींव से 60 फूट छोड़कर प्रार्थी के खेत के बिच तक नक्शा में तरमीम की गई है जो सही नहीं है।

लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

[illegible] प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया कि वोह राजस्व एक्स में संशोधन [illegible] खसरा नंबर 1721 / 528 तादादी 0.1012 हैक्टेयर को वर्तमान राजस्व एक्स में संशोधन कर प्रार्थी के संपरिवर्तन आदेश के मुताबिक वर्तमान खसरा नंबर 1722 / 528 तादादी 2.7316 हैक्टेयर के पूर्वी तरफ सींव से 60 फूट छोड़ते हुए व सड़क से 132 फूट छोड़कर 78.7 पश्चिम से पूर्वी चौड़ा व 137.0 उतर से दक्षिण कि ओर लम्बा राजस्व रेकार्ड के नक्शा एक्स में करवाने का प्रार्थी को अधिकार है। इस प्रकार प्रार्थी के औधोगिक संपरिवर्तन आदेश के मुताबिक राजस्च एक्स में वर्तमान एक्स को संशोधन करते हुए दर्ज करे आदि आदि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र पेश किया अप्रार्थीगण को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 02 स्वयं उपस्थित होकर इकबाल जवाब पेश किया व प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का समर्थन किया। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। इस प्रक़ार प्रार्थी कि ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का कोई विरोध व खिलाफ का जवाब पेश नहीं हुआ। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मौखिक बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 1722 / 528 तादादी 2.7316 हैक्टेयर का दर्ज है व प्रार्थी के स्वयं के खातेदारी खसरा नंबर 1721 / 528 तादादी 0.1012 हैक्टेयर गैर मुमकिन औधोगिक संपरिवर्तन आदेश क्रमांक राजस्व / 2016 / 813–816 दिनांक 21 / 03 / 2016 जारी कर्ता उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ द्वारा जारी है। प्रार्थी ने उपरोक्त भूमि सड़क नोखा सीकर से दक्षिणी तरफ 132 फूट छोड़कर व पूर्वी तरफ की सींव से 60 फूट छोड़कर 78.7'X137.0' कुल वर्गफूट 10765.46 जिसके वर्गमीटर 1000.50 का औधोगिक संपरिवर्तन करवाया था जिसको पटवारी हल्का ने नामांतरकरण संख्या 2596 दर्ज करते समय गलती से संपरिवर्तन आदेश के साथ सलंग्न नक्शा के अनुसार तरमीम नहीं की गई थी। जिसको सुधारकर मुताबिक संपरिवर्तन आदेश के अनुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड शुद्व करते हुए राजस्व रेकार्ड के नक्शा एक्स में दर्ज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। प्रार्थी रोही सांडवा के खसरा नंबर 1721 / 528 तादादी 0.1012 हैक्टेयर गैर मुमकिन औधोगिक के खातेदार है। पटवारी हल्का ने औधोगक संपरिवर्तन आदेश का नामांतरकरण दर्ज करते वक्त एक्स में तरमीम सही नहीं की जबकी संपिरवर्तन आदेश के अनुसार तरमीम करनी चाहीए थी। प्रार्थी की औधोगिक संपरिवर्तन भूमि सड़क नोखा से सीकर के दक्षिणी तरफ अपने खातेदारी खेत मूल खसरा 528 में से 132 फूट सड़क से छोड़कर पूर्वी तरफ, पूर्वी सीमा से 60 फूट छोड़कर तादादी 0.1012 हैक्टेयर जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1721 / 528 है। इसी प्रकार से वर्तमान राजस्व रेकार्ड कि तरमीम कर एक्स में संशोधन किया जाना उचित है।

लगातार 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

आदेश

प्रार्थी दयालाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि रोही सांडवा के खसरा नंबर पुराना 528 जिसके हाल खसरा नंबर 1721/528 तादादी 0.1012 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1722/528 तादादी 2.7316 हैक्टेयर है जिसमें से प्रार्थी ने खसरा नंबर 1721/528 तादादी 0.1012 हैक्टेयर गैर मुमकिन औधोगिक भूमि का संपरिवर्तन किया हुआ है। प्रार्थी के गैर मुमकिन औधोगिक के वर्तमान नक्शा एक्स को इस प्रकार संशोधित किया जावे कि खसरा संख्या 1721/528 जिसका मूल खसरा संख्या 528 में औधोगिक संपरिवर्तन की भूमि सड़क नोखा सीकर के दक्षिणी तरफ 132 फूट सड़क से छोड़कर पूर्वी तरफ, पूर्वी सीमा से 60 फूट छोड़कर 78'7'' पश्चिम से पूर्वी चौड़ा व 137'0'' उतर से दक्षिण कि ओर लम्बा राजस्व रेकार्ड के नक्शा एक्स में संशोधन किया जावे। औधोगिक संपरिवर्तन का नक्शा आदेश का भाग रहेगा। आदेश कि पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को अलग से लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 03/06/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी बीदासर, चूरू